न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 91/2022 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया	बनाम	1. रतन रमेश पुत्र प्रकाश शंकरी सीमा पुत्री प्रकाश भवानी पत्नी प्रकाश भील निवासी मण्डोल तहसील बिजौलिया
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.06.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मंडोल की आ.न. 666/207 रकबा 0.6475 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम मंडोल की आ.नं. 666/207 रकबा 0.6475 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

2071 में सोया + मसूर, 2072 में सोयाबीन आदि फसलों की काश्त की जाना खसरा गिरदावरी से स्पष्ट होता हैं। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत इन खसरा गिरदावरियों के खण्डन में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई पुष्ट साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षी को आंवटित भूमि में विपक्षी द्वारा कोई मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड की उल्लघंना की हो, इस संबंध में प्रार्थी ने कोई दस्तावेज व साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया द्वारा विपक्षीगणों के विरूद्व प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त नही होने का जो आक्षेप आरोपित किया गया हैं, वह विपक्षीगणों द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों की प्रमाणित प्रतियों से निराधार सिद्ध होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू—आवंटन निरस्तीकरण का अस्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम मंडोल के आराजी नं. 666/207 रकबा 0.6475 हैक्ट. भूमि आवंटन को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)